

संख्या

N.B.-इन्टरमीडिएट/स्नातक पास परीक्षा उत्तीर्ण अंक-पत्र परीक्षा प्रपत्र के साथ अवश्य संलग्न करें।  
मूल्य (परीक्षा) 100/- रुपये मात्र

PHOTO	<b>बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विहार विश्वविद्यालय</b> <b>मुजफ्फरपुर</b> <b>स्नातक कला/विज्ञान/वाणिज्य (प्रथम/द्वितीय</b> <b>खण्ड) की सामान्य/प्रतिष्ठा परीक्षा २०</b> <b>नोट :-विश्वविद्यालय में पंजीकृत नाम ही लिखें।</b>	नियमित / पुनर्वर्ती जो अनपेक्षित है उसे काट दें
-------	---	--

१. आवेदक का नाम (हिन्दी में) ... ..  
२. अंग्रेजी के छोपे अक्षरों में नाम (Name in English in Block Letters) ... ..  
३. पिता का नाम ... .. वर्तमान पता ... ..  
४. जन्म तिथि ... .. ५. पंजीयन संख्या ... ..  
६. पुरुष / महिला ७. सभी विषय / एकल विषय  
८. परीक्षा का विषय :-

संकाय	पास विषय	प्रतिष्ठा का विषय
1	3	
2	4	

९. माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण होने का विवरण :- बोर्ड ... .. वर्ष ... ..  
१०. इन्टरमीडिएट डिग्री पार्ट I परीक्षा में उत्तीर्ण होने का विवरण :-  
(क) कालेज तथा वि० वि० का नाम ... ..  
(ख) वर्ष ... .. (ग) क्रमांक ... ..  
(घ) विषयों के नाम :- (१) ... .. (२) ... .. (३) ... ..  
११. त्रिवर्षीय स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होने का विवरण :-  
(क) कालेज तथा वि० वि० का नाम ... ..  
(ख) वर्ष ... .. क्रमांक ... ..  
१२. अनुत्तीर्ण स्नातक परीक्षा का विवरण :-  
(क) कालेज तथा वि० वि० का नाम ... ..  
(ख) वर्ष ... .. (ग) क्रमांक ... ..  
१३. स्नातक कला में अध्ययन का विवरण :-  
(क) कालेज तथा वि० वि० का नाम ... ..  
(ख) पत्र ... .. (ग) कक्षा का क्रमांक ... ..  
१४. परीक्षा की भाषा (Examination Script)  
१५. परीक्षाधी का स्थाई पता :-  
आवेदक का हस्ताक्षर  
(प्राचार्य या प्रभारो के सामने ही हस्ताक्षर करें)  
आवेदक का वर्तमान पत्राचार पता :-

### प्रमाण-पत्र घोषणा

नियमित/पुनर्वर्ती छात्रों के लिए

मैं प्रमाणित करता हूँ कि आवेदक ... .. ने मेरे मामले बोर्ड/परिषद् द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र उपस्थित कर मुझे परितुष्ट किया है कि वे ... .. बोर्ड/परिषद् को इन्टरमीडिएट परीक्षा या विद्वत परिषद् द्वारा मान्य समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हैं।

(क) केवल नियमित छात्रों के लिए :- इन्होंने कालेज में कला/विज्ञान/वाणिज्य स्नातक प्रथम/द्वितीय खण्ड की परीक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है और उत्प्रेषित हो गई हैं और इनका आचरण अच्छा है।

(ख) केवल पुनर्वर्ती छात्रों के लिए :- इन्होंने विश्वविद्यालय परिनियमों के अनुकूल सभी शर्तों को पूरा कर लिया है और स्नातक प्रथम/द्वितीय खण्ड की परीक्षा में बैठने के अधिकारी हैं। इन्होंने मेरे सामने हस्ताक्षर किया है और मैं इसके आचरण के विरुद्ध कुछ नहीं जानता हूँ।

प्राचार्य का हस्ताक्षर  
(मुहर)



## परीक्षार्थियों के लिए नियम

१. ऐसे परीक्षार्थी को जो ऐसी बिमारी से ग्रसित हो जिसके कारण उनकी उपस्थिति अन्य परीक्षार्थियों के लिए हानिकारक हो सकता है परीक्षा भवन में प्रवेश नहीं करने दिया जायेगा। प्रत्येक परीक्षार्थी के लिए एक निर्दिष्ट सीट का प्रवन्ध रहेगा जिस पर उनके प्रवेश-पत्र में अंकित संख्या लिखी रहेगी। परीक्षार्थी निर्दिष्ट स्थानों पर बैठेंगे। केन्द्र व्यवस्थापक की अनुमति के बिना सीट बदलना मना है। परीक्षा प्रारम्भ होने से आधा घंटा बिलम्ब हो परीक्षार्थी परीक्षा भवन में प्रवेश कर सकेंगे।
२. जो परीक्षार्थी परीक्षा भवन में दूसरे की सहायता या किसी प्रकार का अवैध सहायता लेने का चेष्टा करता या अन्य अनुचित लाभ के लिए कोई दूसरा अवैध उपाय करता हुआ पाया जायेगा वह परीक्षा भवन से निकाल दिया जायेगा तथा कानूनन अन्य दण्ड क भागो होंगे। परीक्षार्थियों को परस्पर किसी प्रकार के विचार विनियम का अधिकार न होगा। विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त प्रवेश-पत्र, उत्तर-पुस्तिका, प्रश्न-पत्र और सोखता तथा उपकरणों के सिवा परीक्षार्थियों को अपने पास परीक्षा कक्ष में कोई भी फाजिल कागज पत्र रखना वर्जित है, इनका उल्लंघन करने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा से निकाल दिया जाएगा।
३. (क) जो परीक्षार्थी परीक्षा-भवन में अवैध उपायों का अवलम्बन करते हुए पाये जाते समय अथवा उसका सन्देह होने पर अवैध पास के बिना किसी कागज या सबूत को फाड़कर, मिटाकर निष्पल कर या अन्य किसी प्रकार से नष्ट करने का चेष्टा करते पाये जायेंगे उनके सम्बन्ध में यह समझा जाएगा कि उस समय का परीक्षा से सम्बन्धित अवैध कागज उसके पास थे और तदनुसार वे दण्ड संहिता के अनुसार सजा के भागो होंगे।
४. उत्तर लिखना प्रारम्भ करने के पहले प्रत्येक परीक्षार्थी के लिए उत्तर-पुस्तिका के आवरण पृष्ठ पर अपना केन्द्र और नामांकन तथा पंजीयन संख्या लिखना अनिवार्य है। परन्तु परीक्षार्थी को अपना अथवा अपने कालेज का नाम कदापि नहीं लिखना चाहिए। परीक्षार्थी को चेतावनी दो जाती है कि जिस उत्तर-पुस्तिका पर केन्द्र, नामांकन और पंजीयन संख्या स्पष्ट रूप से लिखी न गोगी उसे जांचा नहीं जा सकता है।
५. यदि कोई परीक्षार्थी अपनी उत्तर-पुस्तिका में कोई आपत्तिजनक या अनुचित बात लिखने का अपराधो पाया जायेगा तो उसका नाम विश्व-विद्यालय में उचित कारवाई के लिए भेज दिया जायेगा।
६. प्रश्न-पत्र या सोखते पर कोई दूसरा बात लिखना वर्जित है।
७. परीक्षा कक्ष के प्रधान निरीक्षक के आदेश पर परीक्षार्थी के लिए अपना हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा।
८. प्रश्न-पत्र बंटने के बाद एक घंटा तक किसी परीक्षार्थी को न तो अपना उत्तर-पुस्तिका वापस करने दी जायेगी और न अल्पकाल के लिए भी सीट छोड़ने की अनुमति दी जायेगी।
९. यदि कोई परीक्षार्थी कक्ष निरीक्षक से कुछ पूछना चाहता हो तो उसे अपने स्थान पर चुपचाप खड़ा हो जाना चाहिए और कक्ष निरीक्षक के वहाँ पहुंचने तक खड़ा रहना चाहिए। किसी भी दशा में उसे न तो अपना स्थान ही छोड़ना होगा और न ही कक्ष निरीक्षक का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए किसी प्रकार का शोर नहीं मचाना होगा।
१०. प्रश्न-पत्र बंटने के समय के ठीक पांच मिनट पहले घंटी बजायी जायेगी जो इस बात की चेतावनी होगी कि सभी परीक्षार्थी अपने-अपने स्थानों पर बंठ जायें। चेतावनी को इन घंटो के बाद अहाते के भीयर परीक्षा भवन या उसके निकटवर्ती स्थानों में पाया जाने वाला कोई भी बाहरी व्यक्ति अनाधिकार-प्रवेश का दोषी माना जायगा और उस बाहर निकाल दिया जायेगा।
११. फाउन्टेनपेन से लिखना वर्जित नहीं परन्तु सारा परीक्षा में आदि से अन्त तक उसमें एक प्रकार का रोजनार्ई का व्यवहार होना चाहिए।
१२. आवश्यकता होने पर विश्व-विद्यालय की ओर से लौंग टेबुल तथा साफ कागज दिए जायेंगे। अपना साफ कागज व्यवहार करना मना है।
१३. इन नियमों में जो बातें न आ सकी हों उनके सम्बन्ध में केन्द्र व्यवस्थापक आवश्यकतानुसार परिस्थित को ध्यान में रखते हुए यथोचित आदेश देंगे और सूचना विश्व-विद्यालय को भेज देंगे।